मु० नम्बर 72/17 किस्म दावा ..... लक्ष्मी ..... उनवान रामनिवास .....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
24/3/2021	पत्रावली पेश हुई सम्मन तलबाना हेतु अन्तिम अवसर दिनांक 30-4-2021 को पेश हो।	
13/7/2021	पत्रावली जनरल तारीख पेशी से पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण में बार-बार वादी व वादी वकील को आवाज दिलवायी गयी। बावजूद आवाज दिलवाने के वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। जिससे जाहिर होता है कि वादी व वादी वकील प्रकरण आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। अतः मु० न० 72/17 दावा लक्ष्मी बनाम रामनिवास अदम पैरवी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.07.22 13:06:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner